



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 27 जुलाई, 2017 / 5 श्रावण, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

1. AGRICULTURE

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of “**Agriculture**” may be revised with effect from 1-4-2017;

AND WHEREAS, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 5 of the Act, ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1-4-2017.

Un-skilled workers Rs. 210/- per day or Rs. 6300/- per month.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:—

- (i) **Unskilled:—**An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred of by sub-section (2) of section 5 of the Act, ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2017** as under:—

Category of Workers 1	Revised Wages	
	Daily 2	Monthly 3
	Rupees	Rupees
UN-SKILLED WORKERS :		
Bhisthi/Chimini Cleaner/Chowkidar/Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/ Pipelinemen / Electrical Coolie/Security Guard/Beldar/Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker	210.00	6300/-
SEMI-SKILLED WORKER:		
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/Badhani/Upholster/Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distemperer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/ Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab	227.00	6810/-

Attendant/Auto electrician/Motor Mate/Enquiry Attendant/Telephone Attendant

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone

Carrier 1½ inch to 2 inch = Rs. 1319 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 1473 per 100 cf

SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Asst. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chageman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi (8 years to above) /Tracer Operator/ E.M.E./ Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator / Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/ Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II/Wireless Operator.	254.17	7625/-
HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/ChagemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	314.50	9435/-
Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor) Clerk/ Mechanical Inspector / Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.	254.17	7625/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled:**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, require experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.) .

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Public Motor Transport**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-section (2) of section 5 the Act, ibid the Governor Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2017** as under:—

General Staff Unskilled

Rs.210 /- per day, Rs.6300/- per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter, Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
Workshop Mazdoor without having any experience

Rs. 210/- per day, Rs. 6300/- per month

Semi-skilled

Rs.220.17 per day, Rs.6605/- per month

1. Asstt. Electrician
2. Asstt. Mechanic
3. Asstt. Fitter
4. Asstt. Black Smith
5. Asst. Carpenter
6. Asstt. Welder
7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boaring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Volcanisor
12. Asst. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt.Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Rs. 246.52 per day or
 Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Rs. 7396/- per month.
 Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic,
 Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI
 certificate or having 2 years of probation period who has no ITI
 Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same
 trade.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor Rs. 280.50 per day or
 Rs. 8415/- per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:**Group-A**

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store- Rs. 246.52 per day or
 daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk Rs. 7396/-per month.
 (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Rs.262.52 per day or
 Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store- Rs.7876/- per month.
 Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier. Rs.321.25 per day or Rs.
 9638/-per month.

RUNNING STAFF

	Per Day	Per month
1. Driver	Rs.284.12	Rs. 8524/-
2. Conductor	Rs.253.60	Rs. 7608/-
3. Cleaner-cum-Conductor	Rs.233.12	Rs. 6994/-
4. Part-Time Booking Clerk	Rs.103.72	Rs. 3112/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 22th July, 2017

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No. Shram (A)4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Shops & commercial Establishments**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:—

Category of employees	Where benefit provided	no is	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees		Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.	Rs.210/-Daily		Rs 184.47 Daily
	Rs.6300/- Monthly.		Rs. 5534/- Monthly
Semi-Skilled	Rupees		Rupees
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema)/ Asstt. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi, Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter, Bearer), Assistant Radio Machanic/Painter/ WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric), Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man. Enquiry Attendent/ Telephone Attendent, ITI Certificate Holder.	Rs.225.55 Daily. Rs. 6767/- Monthly.		Rs. 199.12 Daily Rs.6000/- Monthly
Skilled:	Rupees.		Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/ Carpenter/Plumber/Driver/ Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/Steward/Butler/ Fitter/ Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/Cinema Operator/Salesmen/Drycleaner/ Dyer/ Barber/Regular machine man/ machinist / Welder/Moulder/Cashier/Clerk/(Matric) Munim/ receptionist/Waiter/Bearer)/Storekeeper/ headwaiter / Head bearer (Western Style Hotels)/ Lineman. ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rs.254.17 Daily. Rs. 7625/- Monthly.		Rs. 228.37 Daily Rs.6851/- Monthly.
Highly Skilled	Rupees.		Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs.267.12 Daily. Rs. 8014/- Monthly		Rs. 242.40 daily Rs.7272/- Monthly

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under.—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-PartIII dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

5. FORESTRY INDUSTRIES

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Forestry Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2017** as under:—

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKERS		
1 Felling of trees:	Rs.210.00	Rs.6300/-
1. Lopper (Changi)	Rs.225.55	Rs.6767/-
2. Feller (Garani)	Rs.216.12	Rs.6484/-
2 Logging and sawing including timber passing:		
1. Dresser (Panchani)	Rs.216.12	Rs.6484/-
2. Sawyer (Charani)	Rs.280.50	Rs.8415/-
3. Blacksmith	Rs.259.40	Rs.7782/-
3 Carriage stacking and timber passing by manual labour:		
1. Mazdoor for carriage	Rs.216.12	Rs.6484/-
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs.216.12	Rs.6484/-
4 Carriage of timber by Aerial ropeways :		
1. Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.280.50	Rs.8415/-
2. Span Mistry	Rs.259.40	7782/-
5 Carriage by water slide (pucci Nalli) dry slide (Pathru), Nullah Bhaan Darya Bahaan (River floting):		
1. Mohri-wala Mistry	Rs.305.15	Rs.9155/-
2. Taru	Rs.290.27	Rs.8708/-
	Rs.267.12	Rs.8014/-
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs.290.27	Rs.8708/-
4. Darya-man	Rs.237.17	Rs.7115/-
5. Ghalu	Rs.237.17	Rs.7115/-
6. Jamadar		

6	Mechanised logging and timber extraction:		
	1. Surveyor	Rs.282.57	Rs.8477/-
	2. Ski-line Operator	Rs.259.40	Rs.7782/-
	3 Truck Driver	Rs.239.30	Rs.7179/-
	4. Compressor Driver	Rs.239.30	Rs.7179/-
7	Clerical Staff:		
	1. Manager	Rs.335.12	Rs.10054/-
	2. Accountant	Rs.243.97	Rs.7319/-
	3. Munshi/ Typist clerk	Rs.216.12	Rs.6484/-
	8. Saw Mill Workers:		
	1. Band Saw Mistry	Rs.259.40	Rs.7782/-
	2. Supervisor	Rs.256.29	Rs.7689/-
	3. Head Mistry	Rs.259.40	Rs. 7782/-
	4. Boiler Driver	Rs.259.40	Rs.7782/-
	5. Assistant Mistry	Rs.220.17	Rs.6605/-
	6. Planner Mistry	Rs. 220.17	Rs.6605/-
	7. Helper	Rs.216.12	Rs. 6484/-
	8. Cutter man	Rs. 216.12	Rs. 6484/-
9	Katha Extraction:		
	1. Feller and Chipper	Rs.216.12	Rs. 6484/-
	2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs.215.55	Rs.6467/-

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs.314.50. Daily. Rs.9435.00 Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under.—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational

environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.) .

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III .—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Chemical & Chemical Products**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2017** as under:—

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 210.00 Daily. Rs. 6300/- Monthly.
Semi Skilled	
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant , Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller/Empular, Hageman. ITI Certificate Holder.	Rs. 218.47 Daily. Rs. 6554/- Monthly.
Skilled	
Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.	Rs. 254.17 Daily. Rs. 7625/- Monthly.
Highly Skilled	
Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman	Rs. 314.50 Daily. Rs. 9435/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribe Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and

but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.*]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

7. ENGINEERING INDUSTRIES

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III .—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Engineering Industries**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2017;

NOW THEREFORE, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the Act *ibid* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f* **1st April, 2017** as under:—

Un-Skilled

Rs.210.00.
Daily.Rs.6300/-
Monthly.

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Brager Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Rs. 218.47 Daily.
Rs.6554/- Monthly.

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs.254.17
Daily.Rs.7625/-
Monthly

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

Rs. 314.50 Daily.
Rs.9435/- Monthly.

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 230.02 Daily.
Rs.6901/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribel Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

(i) Un Skilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.*]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

8. TEA PLANTATION

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the Act *ibid* the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2017** as under:—

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hosing, pruning weeding, plucking <i>etc.</i> known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 210.00 Daily or Rs. 6300/- Monthly.

A-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Enhancement in rate 72/-Paise Per KG Rs. 15.20 per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves.—If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Enhancement in rate 60/-Paise Per KG Rs.15.20 11.80 per kilogram extra as incentive.

C Grade Leaves.—If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Enhancement in rate 60/-Paise Per KG Rs 8.52 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 15.20, Rs. 11.80 Rs. 8.52 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs.214.56 per day, Rs.6437/- per month

FACTORY:

Include lift Mazdoor withering Mazdoor, relling room workers, shifting Mazdoor, Fermenting room workers, tea boys, sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)	Rs. 210-00 daily Rs. 6300/- Monthly.
---	---

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Muharirs <i>etc.</i> who maintain records of a field work and also includes sweeper, Mali & Mate.	Rs. 210-00 daily Rs. 6300/- Monthly.
--	---

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 355.22	Rs.10,657/- per month plus free accommodation
2. Clerks	Rs. 254.17	Rs.7625/- per month plus free accommodation
3. Munshi	Rs. 269.53	Rs.8086/- per month plus free benefits as admissible to clerk
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs.214.57	Rs.6437/- per month plus free benefit as admissible.

	Daily	Monthly
5. Compounder	Rs. 324.27	Rs. 9728/-
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)	Rs. 284.12	Rs. 8524/-
7. Mechanic ,	Rs. 327.40	Rs. 9822/-
8. Assistant Mechanic	Rs. 282.57	Rs. 8477/-
9. Electrician-cum- Mechanic , Grade-I	Rs. 327.40	Rs. 9822/-
10. Electrician-cum- Mechanic , Grade-II	Rs. 282.57	Rs. 8477/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 22th July, 2017

**9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED
IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948**

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the Act, *ibid* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* 1st April, 2017 as under:—

Un-skilled Workers	Rs. 210.00 per day or Rs. 6300/- per month
Semi-skilled	Rs. 218.47 P.D. or Rs. 6554/- per month
Skilled & clerical staff	Rs. 254.17 P.D. or Rs. 7625/- per month
Highly-Skilled	Rs. 314.50 P.D. or Rs. 9435/- per month

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribe Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

(i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He

must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

10. HOTEL AND RESTAURANTS

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Hotel and Restaurants** may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f* **1st April, 2017** as under:—

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs. 210.00 Daily	Rs 184.47 Daily
	Rs. 6300.00 Monthly	Rs.5534/- Monthly

SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman / Assistant Baker/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi, Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric), Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machinman. Enquiry Attendant, Telephone Attendant. ITI certificate holder who are working in the other trade .	Rs. 225.55 Daily Rs. 6767/- Monthly	Rs 200.11 6003/- Monthly.
SKILLED WORKERS : Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/Steward/Butler/Draughtsman/TelephoneOperator/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head Waiter/ Head Bearer (Western Style Hotel.) ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rupees. Rs. 254.17 Daily Rs.7625/- Monthly.	Rupees. Rs.228.37 Daily Rs. 6851/- Monthly.
Highly Skilled Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rupees. Rs. 267.12 Daily Rs.8014/- Monthly.	Rupees. Rs. 242.40 7244/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.) .

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 22th July, 2017

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No.Shram (A)4-8/2006-Part_III .—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Private Educational Institutes**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**.

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2017;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f* 1st April, 2017 as under:—

Un-skilled Workers	Rs. 210.00 per day or Rs. 6300/- per month
Semi-skilled	Rs. 225.55 P.D. or Rs. 6767/- per month
Skilled	Rs. 254.17 P.D. or Rs. 7625/- per month
Highly skilled	Rs. 267.12 P.D. or Rs. 8014/- per month

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) Unskilled:—**An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—**A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—**A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

12. Hydro Power Projects

No. Shram (A) 4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hydro Power Projects**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act, *ibid* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2017** as under:—

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS :	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman,	210.00	6300/-

Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman / Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Electrician, Mali

227.00 6810/-

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambu Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor(Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Mortar Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Experience), Dhobi.

254.17 7625/-

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior

314.50 9435/-

Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with

responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.) .

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

13. Pharmaceuticals' Industries

No.Shram (A) 4-8/2006-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Pharmaceuticals' Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2017** as under:—

Category of Workers	Minimum Daily	Wages Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs.210.00	Rs.6300/-
Semi Skilled		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs.218.47	Rs. 6554/-

Skilled

Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier. Rs. 254.17 Rs. 7625/-

Highly Skilled:- Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist, Stenographer. Rs. 314.50 Rs. 9435/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

(i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hospitals/Nursing Homes & Clinics**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**.

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2017** as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar/Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy, Ward Boy, Masalchi.	210.00 6300/- Monthly.	184.47Daily. 5534/- Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Guard, Sweeper, Operation Theatre Assistant, Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Atter	225.55 Daily. 6767/- Monthly	199.12 Daily. 5974/- Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi.	254.17 Daily. 7625.00 Monthly	228.37 Daily 6851/- Monthly.

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder. Accountant, Stenographer	267.12 Daily. 8014/- Monthly	242.40 daily 7272/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

15. Domestic Workers

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**.

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2017** as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman, Washer man	210.00 Daily 6300.00 Monthly.	156.00 Daily. 4680/- Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard, Mali	225.55 Daily. 6767/-Monthly	166.88 Daily 5006/- Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook, Driver	254.17 Daily. 7625/- Monthly	186.92 Daily 5608/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.*]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

16. Safai Karamchari Employment

No. Shram (A) 4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Safai Karamchari Employment**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND, WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:—

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchari, Beldar, Cartman,	Rs. 210.00	Rs.6300/-
Semi Skilled		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs.218.47	Rs. 6554/-
Skilled	Rs 254.17	Rs. 7625/-
Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.		
Highly Skilled		
Jr. Engineer, Sanitary Inspector, Stenographer,	Rs. 314.50	Rs. 9435/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India*].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 22th July, 2017

17. Security Services

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Security Services**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper, Watchman	Rs. 210.00.	Rs.6300/-
Semi skilled		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 218.47	Rs.6554/-
Skilled		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 254.17	Rs.7625/-
Highly Skilled		
Security Officer, Security Manager, Stenographer, Accountant.	Rs.314.50	Rs.9435/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices Shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

(i) **Skilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

No. Shram (A) 4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Temples and Religious Places/Dharamshalas**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid* the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2017** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy, Beldar.	210.00 Daily 6300.00 Monthly	184.47 Daily 5534/- Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	225.55 Daily 6767/- Monthly	199.12 Daily 5974/- Monthly
Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	254.17 Daily 7625/-Monthly	228.37 Daily 6851/-Monthly
Highly Skilled	Rs.	Rs.
-Supervisor, Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Bhajan, Singer, Stenographer, Accountant.	267.12 Daily. 8014/- Monthly	242.40 daily 7272/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.) .

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2017

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

No. Shram (A) 4-8/2006-Part-III.—WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Workers Working in Toll Tax Barriers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2017** as under:—

	Minimum Daily	Wages Monthly
Un-skilled Workers :- Peon, Office Boy, Masalchi.	Rs.210.00	Rs. 6300/-
Semi-skilled:- Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard, Complaint Attendant.	Rs. 218.47	Rs. 6554/-
Skilled:- Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 254.17	Rs. 7625/-
Highly-Skilled:- Supervisor, Superintendent, Stenographer, Accountant.	Rs. 314.50	Rs. 9435/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices Shall be regulated under the Apprenticeship Act 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

कृषि

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कृषि" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में, कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार : 210/- रूपए प्रतिदिन या 6300/- रूपए प्रतिमास

टिप्पण:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. हिमाचल प्रदेश में जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी: —

अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मचारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-04-2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मचारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
1.	2	3
अकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
भिषाती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टेम्परर ग्रेड- II/ गलेजियर /पलम्बर या-वर्कशाप हैल्पर/रॉक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमन के लिए स्प्रे मैन्/पाइप लाईन मैन् /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्वोरिटी-गार्ड /बेलदार/ ट्रैक्टर / रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर का क्लीनर / मजदूर सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/ ड्रेसर / आयल मैन् / ग्रीसर / मैस हेल्परज / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल) /खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।	210.00	6300.00
अर्धकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड-II/ मैसन ग्रेड— II / स्मूअर मैन् / ब्लैक स्मिथ ग्रेड-II / सैनितरी फिटर ग्रेड— II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन् रोडज/ केन-मैन्/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन्) / केन-मैन् / डिस्टेम्परर ग्रेड-I /फिटर ग्रेड-II फ्लोर-पालिशर / स्टोन ड्रेसर /माली / बैल-सिंकर / वाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड—II, टर्नर-ग्रेड-II/ पाइप फिटर ग्रेड- II / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन् / सहायक वैलडर / सहायक टर्नर/ बैटरी चार्जर / ड्रेसर (अर्हित/अनुभवी) /हैमरमैन्/कुक / वल्कनार्डजर/नोजल मैन् / टनल मैन् / एलॉए ट्रॉली आपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन् / टनल-मैन् / हैल्पर (5 साल और अधिक)/ आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रेसर / पम्प-एटैन्डेन्ट /ऑटो इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-II / गार्डनर / गेज-रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट /ऑटो इलैक्ट्रिशियन/ मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट ।	227.00	6810.00
स्टोन-ड्रेसर /स्टोन-ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन-कैरियर	1-1-1/2"से 2 इंच रुपए 1319.00 घन फुट 1 से 1/4" इंच 1473.00	रुपए प्रति घन फुट
कुशल कामगार:	रु. पै.	रु. पै.
कारपेन्टर ग्रेड-I/मैसन ग्रेड-I/ब्लैक स्मिथ /सेनेटरी फिटर ग्रेड-I / अप-होलसल्टर ग्रेड-I/ सहायक पम्प ऑपरेटर/पम्प ऑपरेटर / पम्प ड्राइवर/चार्जमैन्ग्रेड-II/जल आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड-II/ कॉम्प्रेसर ऑपरेटर /कॉम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड-I/दर्जी या टेलर ग्रेड-II/क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर/पलम्बर ग्रेड-I/पाइप फिटर ग्रेड-I/ऑटो ड्राइवर/ सहायक मकैनिक/मिक्सर ड्राइवर /मिक्सर-आपरेटर/संरचानात्मक फिटर ग्रेड-II/वर्कशाप फिटर/जनरेटर ऑपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर /डीजल इंजन फिटर/ट्राली लाइन फिटर/ कशिंग प्लांट फिटर/बी. प्लांट फिटर/जैक हैमर फिटर/	254.17	7625.00

इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / ऑटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रिजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर/ शाफ्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर ऑपरेटर / रोकलेन ऑपरेटर / सक्केपर-आपरेटर / लोडर ऑपरेटर / क्रेन-ऑपरेटर / युक्लिड-ऑपरेटर/वैगन ड्रिलआपरेटर / बोरिंग-आपरेटर / एस.एल.डी. क्रेन आपरेटर/ (बी.) प्लांट-आपरेटर / आइस प्लांट ऑपरेटर या वैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ/ ट्रेक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर /बिन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर /क्लाइमबर / मोल्डर /लेबलरज साँ मिल कटर/केबल जवाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड—।। /खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर ऑपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कमप्रेसर/ रॉकर शावल ऑपरेटर / स्नो कटर ऑपरेटर / लोको-ऑपरेटर गलेजड टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क-मिस्ट्री / मोटर-मेट / ट्रेक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट ऑपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड—।। वायरलैस ऑपरेटर

उच्च कुशल:

केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड-I/ चार्ज मैन ग्रेड- I/ वर्कशाप फोरमैन ग्रेड- I/ टर्नर ग्रेड- I/मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्ट्री और कारपेन्टर मिस्ट्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड-। / सर्वेयर / ड्राफ्टस-मैन / सहायक फोरमैन / मकैनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर /बुलडोजर ड्राइवर/ वायरमैन / आटो इलैक्ट्रीशियन/ इलैक्ट्रीशियन / कैमिकल एनालाइजर ।

रु. पै. रु. पै.
314.50 9435.00

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर/ रोड इन्सपैक्टर/ वर्क इन्सपैक्टर/ स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क /बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्पलेंट एटैन्डेन्ट / फ़ैरो-प्रिंटर / ड्राइवर (जीप/ कार/ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।

रुपए रुपए
254.17 7625.00

टिप्पण:—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमाणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निमाणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

3. मोटर परिवहन

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक मोटर परिवहन के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2016 से सशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.4.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:---

अकुशल सामान्य कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर, दफ्तरी ।	रुपए 210/-प्रतिदिन	रुपए 6300/-प्रतिमास
---	-----------------------	------------------------

(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है ।	रुपए 210/-प्रतिदिन	रुपए 6300/-प्रतिमास
--	-----------------------	------------------------

अर्ध-कुशल	रुपए 220.17 प्रतिदिन	रुपए 6605/-प्रतिमास
-----------	-------------------------	------------------------

1. सहायक इलैक्ट्रीशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर
6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर
11. सहायक बोल्केनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रीशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या दो वर्ष का प्रोवेशन पीरियड हो, या जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो ।
19. सहायक मोल्डर ।

कुशल:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, रु 246.52 प्रतिदिन
कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वॉलकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन, स्प्रे पेंटर,, रु. 7396.00
इलैक्ट्रीशियन, मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, वर्कशॉप मजदूर जिसके पास प्रतिमास
आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या का प्रोवेशन पीरियड हो दो वर्षों का जिसके
पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो या । आई.टी.आई .सर्टिफिकेट धारक जो
समान ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ:

हैड मकैनिक, कॉरबोरेटर/ हैड इलैक्ट्रीशियन / गैरेज सुपर रु0 280.50 प्रतिदिन
वाईजर । रु. 8415.00
प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप —ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक रु0 246.52 प्रतिदिन
राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर), लैजर कीपर, रु. 7396.00
पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट । प्रतिमास

ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड / स्टेशन रु0 262.52 प्रतिदिन
सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक । रु. 7876.00
प्रतिमास

ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टेंट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर । रु0 321.25 प्रतिदिन
रु. 9638.00
प्रतिमास

रनिंग-स्टाफ:

1 ड्राइवर	रु0 284.12 प्रतिदिन रु. 8524.00 प्रतिमास
2 कन्डक्टर	रु0 253.60 प्रतिदिन रु. 7608.00 प्रतिमास
3 क्लीनर कम कन्डक्टर	रु0 233.12 प्रतिदिन रु . 6994.00 प्रतिमास
4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क	रु0 103.72 प्रतिदिन रु. 3112.00 प्रतिमास

टिप्पण:—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

3. दुकानें एवं वाणिज्यिक स्थापन

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **दुकानों एवं वाणिज्य स्थापनों** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27-04-2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मचारियों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जहां भोजन, चाय, और संयुक्त आवास, सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार / चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मसंजर / कलाकरूम अटेंडेन्ट / पोर्टर / भिस्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रुपए 210.00 दैनिक
रुपए 6300.00 मासिक

रुपए 184.47 दैनिक
रुपए 5534.00 मासिक

अर्धकुशल: हैडपोर्टर / पैटरीमैन / काफी टीमेकर / चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक -आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / एसिस्टेंट-हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर / रूलिंग-कटिंग औक्शनर / माली / सीवरमैन / होटल-गार्ड / सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर / सहायक-टर्नर / सहायक-वैल्डर सहायक- इलैक्ट्रीशियन / सहायक-सेल्जमैन / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन / ब्यायलर-मैन / फिल्म- रिवाइंडर / वेटर / वीयरर / ऐसिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / वाईट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर / कलर्क / (नॉन मेट्रिक) सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन / इनक्वाअरि एटेंडेन्ट / टेलीफोन एटेंडेन्ट 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र / (सर्टिफिकेट) धारक ।

225.55 प्रतिदिन तथा
6767.00 रु. प्रतिमाह
199.12 प्रतिदिन तथा
6000.00रु. प्रतिमाह

159.12 प्रतिदिन तथा
4774.00रु. प्रतिमाह

कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टीनस्मिथ / वाचमेकर / रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राइवर / सहायक टेलर / कटर (टेलरिंग) / जनरल मकैनिक / हलवाई कुक / कन्फैक्शनर / बेकर / स्टुवार्ड / बटलर / फिटर / ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन-ओपरेटर / कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर / शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / डायर / बारबर / रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर / कौशियर / कलर्क (मैट्रिक) / मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर / वीयरर स्टोर-कीपर / हैड वेटर / हैड-वीयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल) / लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

रुपए 254.17 दैनिक रुपए
7625.00 मासिक

रुपए 228.37 दैनिक
रुपए 6851.00 मासिक

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट)/लेखाकार/मुख्य	267.12 दैनिक	242.40 दैनिक
खजानची/हैड-कुक/हैड-बटलर / हैड-बेकर/	8014.00 मासिक	7272.00 मासिक
हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक/ इलैक्ट्रीशियन/		
फोरमैन / सुपरवाइजर/टेलर/कटर (टेलरिंग) ।		

टिप्पणी:—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

5. वानिकी उद्योग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
1 अकुशल कर्मकार वृक्षों का गिराना	रुपए 210.00	रुपए 6300.00
1 लोपर (छांगी)	रुपए 225.55	रुपए 6767.00
2. फ़ैलर (गिरानी)	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
2 टिम्बर पासिंग सहित लॉगिंग एण्ड स्वाईंग		
1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
2. सायर (चिरानी)	रुपए 280.50	रुपए 8415.00
3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
3 मैनुअल लेबर द्वारा कैरेज, स्टेकिंग एण्ड टिम्बर पासिंग		
1. कैरेज के लिए मजदूर		
2. टिम्बर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मजदूर	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
4 एरियल रोप वेज द्वारा टिम्बर का कैरेज ।		
1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 280.50	रुपए 8415.00
2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
5 कैरेज बाई वाटर स्लाइड (पक्की नाली) ड्राई स्लाइड : (पत्थरु) नालाबहान दरिया बहान (रीवर फ्लोटिंग)		

1.	मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 305.15	रुपए 9155.00
2.	तारू	रुपए 290.27	रुपए 8708.00
3.	एसिसटेंट मिस्त्री (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 267.12	रुपए 8014.00
4.	दरियामैन	रुपए 290.27	रुपए 8708.00
5.	घालू	रुपए 237.17	रुपए 7115 .00
6.	जमादार	रुपए 227.17	रुपए 7115.00
6	मकैनाइजड लोडिंग तथा टिम्बर एक्सट्रैक्शन:		
1.	सर्वेयर	रुपए 282.57	रुपए 8477.00
2.	स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
3.	ट्रक ड्राइवर	रुपए 239.30	रुपए 7179.00
4.	कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 239.30	रुपए 7179.00
7	क्लैरिकल स्टाफ :		
1.	मैनेजर	रुपए 335.12	रुपए 10054.00
2.	एकाउन्टेंट	रुपए 243.97	रुपए 7319.00
3.	मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
8	सॉ मिल वर्कर :		
1.	बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
2.	सुपरवाइजर	रुपए 256.29	रुपए 7689.00
3.	हैड मिस्त्री	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
4.	वायलर ड्राइवर	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
5.	एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 220.17	रुपए 6605.00
6.	पलेनर मिस्त्री	रुपए 220.17	रुपए 6605.00
7.	हेल्पर	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
8.	कटर मैन	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
9	कत्था एक्सट्रैक्शन :		
1.	फैलर तथा चिपर	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
2.	कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रौसेसर	रुपए 215.55	रुपए 6467.00

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी),
ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 314.50 दैनिक रुपए 9435.00 मासिक

टिप्पणः—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अब्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

6. रसायन एवं रसायनिक उत्पाद

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2016- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम दरें	
अकुशल:	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
	210..00	6300.00
अर्धकुशल:	दैनिक रूपए	मासिक
एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कलटीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलटमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-1, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर कम मार्किट सैलर अम्पुलर, हैगमैन. आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।	218.47	रूपए 6554.00
कुशल:	दैनिक	मासिक
साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर मैसिन, कारपेंटर, एसिसटेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-1, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन झाइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिसटेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिकुलेट), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर। आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं।	रूपए 254.17	रूपए 7625.00
उच्च-कुशल: बॉयलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी), ओवर सीयर, हैड फोरमैन।	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
	314.50	9435.00

टिप्पण.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

7. इंजीनियरिंग उद्योग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2016-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23-05-2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों का वर्ग

संशोधित

न्यूनतम मजदूरी

दैनिक

मासिक

अकुशल

रूपए

रूपए 6300.00

210.00

अर्धकुशल:

टेपर ग्रेड—III, टर्नर ग्रेड—III, ड्रिलर ग्रेड— III, रोमर ग्रेड— III, शेयर मैन ग्रेड— III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/आपरेटर ग्रेड— III, ब्रजर ग्रेड— III, हैड स्पीनिंग बाइंडर/लाइनर ग्रेड—III, प्रैस आपरेटर ग्रेड— III, स्प्रे पेंटर ग्रेड— III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड— III, असैम्बलर ग्रेड—III, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड— III, मैटिरियल चैकर, फिटर फ्रेम, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड— III, मोपर ग्रेड— III, ग्राइंडर ग्रेड—III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड— III, थ्रैड/रोलर आपरेटर ग्रेड—III, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड—III, फीडर ग्रेड— III, डाइमेकर ग्रेड— III, बैल्डर ग्रेड—III, टिनस्मिथ ग्रेड—III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड—III, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड— III, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड—III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड III, आयलमैन।

रूपए

रूपए

218.47

6554.00

कुशल:

टेपर ग्रेड— II, टर्नर ग्रेड— II, ड्रिलर ग्रेड— II, शैपर ग्रेड— II, शैपर मैन ग्रेड— II, स्लाटरमैन ग्रेड—II, मकैनिक आपरेटर/ब्रजर ग्रेड—II, लाईनर ग्रेड—II, स्प्रे पैंटर ग्रेड—II, ट्रांसफर मिकसर ग्रेड—II, प्रैस आपरेटर ग्रेड—II, असैम्बलर ग्रेड— II, टेलर ग्रेड— II, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड—II, मोपर ग्रेड—II, ग्राइंडर ग्रेड— II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड— II, थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड— II, बुक स्कर्यू मशीन आपरेटर ग्रेड— II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड— II, फिटर ग्रेड— II, कारपेंटर /पैटरन मेकर ग्रेड— II, डाइमेकर ग्रेड—II, साइस्टर ग्रेड—II, वैल्डर ग्रेड—II II, टिनस्मिथ ग्रेड—II, हैमरमैन ग्रेड—II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड—II, टूलसैटर ग्रेड—II, इलैक्ट्रीकल लाईनमैन ग्रेड—II, इलेक्ट्रीशन ग्रेड—II, आरमैचर वाईडर और क्वाईल वाईडर ग्रेड—II, केबल ज्वाइटर ग्रेड—II, वाऊचर इन्सपैक्टर ग्रेड—II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड—II, मोल्डर ग्रेड—II, सुपरवाइजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत हैं।

रूपए

रूपए

254.17

7625.00

उच्च-कुशल:—

टर्नर ग्रेड— I, ग्राइंडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड—I, शेपर मैन ग्रेड—I,

सलाटरमैन ग्रेड-I, मिलर ग्रेड-I, इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड-I, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड-I, फिटर ग्रेड-I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड-I, डाईमेकर ग्रेड-I, एन्ग्रेवर ग्रेड-I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-I, डाईसेटर ग्रेड-I, टूल सैटर ग्रेड-I, इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-I ।	रूपए 314.50	रूपए 9435.00
क्लेरिकल स्टाफ:		
कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर ।	रूपए 230.02	रूपए 6901.00

टिप्पणी.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम सख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ातरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार, है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित मजदूरी	न्यूनतम
चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़नें, स्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लॉपिंग) के लिए, छार्टिंग, कांट-छांट करने, गुडाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में नियोजित अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात।	रूपए 210.00 दैनिक	रूपए 6300.00 मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां.—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला—12 किलोग्राम से अधिक के रूप में चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे प्रात्साहन के रूप में 15.20 रु0 प्रतिकिलोग्राम अतिरिक्त मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां.—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 11.80 रु0 प्रतिकिलोग्राम अतिरिक्त मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 8.52 रु0 प्रति किलोग्राम अतिरिक्त मिलेंगे ।

पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के -'ए', 'बी' व 'सी' ग्रेड के लिए 15.20 रु0, 11.80 रु0 और 8.52 रु0 प्रति किलोग्राम की दर से मिलेंगे ।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 214.56रु0 प्रतिदिन, 6437.00 रु0 प्रतिमास मिलेंगे ।

कारखाना : रूपए 210.00 दैनिक और रूपए 6300 मासिक

इसमें लिफ्ट मजदूर, विदरिंग मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला) रैलिंग रूम वर्कर, शिपिंग मजदूर, फर्मेटिंग रूम कर्मकार, टी ब्याएज, सार्टज, टी-मेकर्स, टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं ।

प्लांटेशन : 210.00 रूपए दैनिक और रूपए 6300.00 मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज आदि जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ
कार्यालय कर्मचारिवृन्द ऑफिश स्टाफ

- | | | | | |
|----|--------------------------|--|-------------------------|--|
| 1. | लेखाकार | रूपए 355.22 प्रतिदिन | रूपए 10,657.00 प्रतिमास | इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास । |
| 2. | लिपिक | रूपए 254.17 प्रतिदिन | रूपए 7625.00 प्रतिमास | इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास । |
| 3. | मुन्शी | रूपए 269.53 प्रतिदिन | रूपए 8086.00 प्रतिमास | इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं । |
| 4. | चपडासी / चौकीदार / चौधरी | रूपए 214.57 प्रतिदिन जो अनुज्ञेय हैं । | रूपए 6437.00 प्रतिमास | इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा |

		दैनिक	मासिक
5.	कम्पाउन्डर	रूपए 324.27	रूपए 9728.00
6.	डाइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर)	रूपए 284.12	रूपए 8524.00
7.	मकैनिक	रूपए 327.40	रूपए 9822.00
8.	एसिस्टेंट मकैनिक	रूपए 282.57	रूपए 8477.00
9.	इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - I	रूपए 327.40	रूपए 9822.00
10.	इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - II	रूपए 282.57	रूपए 8477.00

टिप्पण.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।

2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-(ट) में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापन

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-(ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

और अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 210.00 प्रतिदिन	या	रुपए 6300.00 प्रतिमास
अर्द्ध-कुशल	रुपए 218.47 प्रतिदिन	या	रुपए 6554.00 प्रतिमास

कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) रूपए 254.17 प्रतिदिन या रूपए 7625.00 प्रतिमास

उच्च कुशल

रूपए 314.50 प्रतिदिन या रूपए 9435.00 प्रतिमास

टिप्पणः—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम सख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध—कुशल/कुशल/उच्च—कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध—कुशल.**—अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च—कुशल.**—उच्च—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

10. होटल और रैस्टोरेंट

संख्या:श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई जहां संयुक्त आवास प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है और खाना, चाय आदि की प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल: 1.

2. 3.

हैल्पर/ चौकीदार/ चपड़ासी /स्वीपर /मसालची- II /गेटमैन/ वाटरमैन/मसेंजर/क्लॉकरूम अटैंडेंट/पोटर/भिशिती / वेलदार / फायरमैन/पांडी/ पोस्टर मैन या कोई अन्य कामगार जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।	रुपए 210.00 दैनिक	रुपए 184.47 दैनिक
	रुपए 6300.00 मासिक	रुपए 5534.00 मासिक

अर्ध कुशल कर्मकार:

पैंट्रीमैन/काफी-टी मेकर/चपातीमैन /सहायक बेकर/कुक/सहायक हलवाई / बुक वाईडर / सटिचर / रूलिंग/कटिंग/ऑक्शनर / माली / होटल गार्ड/असिस्टेंट मिस्ट्री/असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन/असिस्टेंट टर्नर/असिस्टेंट बैल्डर/असिस्टेंट ईलैक्ट्रिशियन/ असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट बारबर/धोबी/प्रेसमैन/वॉयलरमैन/फिल्म रिवाईडर/वाटरवीअरर/असिस्टेंट रेडियो मकैनिक/पेंटर/वाइट	रुपए 225.55 दैनिक प्रतिदिन रुपए 6767.00 मासिक	रुपए 200.11 दैनिक रुपए 6003.00 मासिक
---	---	--------------------------------------

वॉशर/पकौडा और चना मेकर/कलर्क (नॉनमैटिक)/
असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट डिस्टीब्यूटर और
मशीनमैन/इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट/टेलीफोन एटैन्डेन्ट/
आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

कुशल कर्मकार:

झाड़वर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर /	रुपए 254.17 दैनिक	रुपए 228.37 दैनिक
बेकर / स्टीवरर्ड / बटलर / ड्राफ्टसमैन /	7625.00 मासिक	रुपए 6851.00 मासिक
टेलीफोन ओपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर /		
वियरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड		
वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0		
प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।		

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर/क्लर्क (ग्रेजुएट) /अकाउंटेंट/	रुपए 267.12 दैनिक	रुपए 242.40 दैनिक
हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर/	रुपए 8014.00 मासिक	रुपए 7244.00 मासिक
हैड-बेकर/हैड-कन्फैक्शनर/हैड-मकैनिक/		
इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर/		
टेलर / कटर (टेलरिंग) ।		

टिप्पण.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2016-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार	रु0 210.00 प्रतिदिन या	रु0 6300.00 प्रतिमाह
अर्द्ध-कुशल	रु0 225.55 प्रतिदिन	रु0 6767.00 प्रतिमाह
कुशल	रु0 254.17 प्रतिदिन	रु0 7625.00 प्रतिमाह
उच्च कुशल	रु0 267.12 प्रतिदिन	रु0 8014.00 प्रतिमाह

टिप्पण.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के कर्मकारों अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2017** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

चपडासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटेन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर केन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक, इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटेन्डेन्ट, जनरेटर अटेन्डेन्ट, टीएम अटेन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोर्ट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गोज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, ईन्जन फिटर का सहायक, डीजल ईन्जन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, कलीनर -कम-बेलदार, वॉशर मैन/ वाशर मेड, ऑफिस वॉय, कले कलीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सुपरवाईजर का सहायक, मेस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

न्यूनतम
दैनिकमजदूरी
मासिक

रु.210.00

रु.6300.00

(2) अर्ध-कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर,, कनिष्ठ जेडब्ल्यूआर केन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन,

रु.227.00

रु. 6810.00

कनिष्ठएक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ऑटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर, कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटेन्डेड, जनेरेटर अटेन्डेड, लोकोमोटिव अटेन्डेड, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेड, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोर्टरी सहायक, गोज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनेरेटर सेट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटैण्डेंट, सहायक सरवेयर, कार्यालय अटेन्डेड, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रेपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कंप्लैट अटेन्डेड, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली ।

(3) कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जेनटरी ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बू ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन, फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रीशियन, पैन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाइजर, कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाईड्रॉ क्रेन ऑपरेटर, सरवेयर, सकेप ऑपरेटर, बोकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टर बाईंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, स्टोर कीपर, लेखा कलर्क, कलर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), धोबी ।

(4) उच्च- कुशल कर्मकार :-

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मैकेनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ बेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सपर्ट, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बू ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट, खलासी (8 वर्ष से अधिक का अनुभव) ।

टिप्पण.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।

2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अनुसूचित जन जातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

संख्या:श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी ,जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत कर रहे कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल,2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल:	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी (प्रयोगशाला) हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपिंग हैल्पर, चपडासी, ।	रु.210.00	रु.6300.00

(2) अर्द्ध-कुशल:-

तकनिशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट, ।	रु.218.47	रु.6554.00
--	-----------	------------

(3). कुशल:

आफिसर (बी फार्मा), टेकनीकल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिकयोरिटी सुपरवाइजर, इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर ।	रु.254.17	रु.7625.00
---	-----------	------------

(4) उच्च कुशल:

सेल्ज आफिसर, सेल्ज एग्जीक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन एम्पलाई, मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी केमिस्ट, स्टेनो ग्राफर ।	रु.314.50	रु.9435.00
--	-----------	------------

टिप्पण.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा समनुदेशित कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया है, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन,चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
(1) अकुशल: हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, / वाच मैन, चपडासी, रुम ब्वाय ,आफिस ब्वाय, वार्ड ब्वाय,मसालची ।	रु.210.00 दैनिक रु.6300.00 मासिक	रु.184.47 दैनिक रु.5534.00 मासिक
(2) अर्ध- कुशल: कलीनिक अटेन्डेंट, एसीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनिशियन, सिकयोरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन ऐसीस्टेन्ट, एसीसटेन्ट स्टोर कीपर, एसीसटेन्ट मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट ।	रु.225.55 दैनिक रु.6767.00 मासिक	रु.199.12 दैनिक रु.5974.00 मासिक
(3). कुशल: रिसेप्सनिशट, फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनिशियन, एक्सरे तकनिशियन, एएनएम, ट्रेड दाई, इलैक्ट्रीशियन, रेडियो ग्राफर,ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट,चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनिशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट,स्टोर कीपर,एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक,धोबी ।	रु. 254.17 दैनिक रु. 7625.00 मासिक	रु.228.37 दैनिक रु.6851.00मासिक

(4) उच्च कुशल कर्मकार:-

स्टाफ नर्स, सिकयोरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ रु. 267.12 दैनिक रु.242.40 दैनिक
इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ तकनिशियन, वरिष्ठ रेडियो रु. 8014.00 मासिक रु.7272.00 मासिक
ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर।

टिप्पण.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा समनुदेशित कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया है, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

15. घरेलू कर्मकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कर्मकार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
(1) अकुशल:- हेल्पर, आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन ।	रु. 210.00 दैनिक रु. 6300/मासिक	रु.156.00 दैनिक रु.4680.00 मासिक
(2) अर्द्ध- कुशल कर्मकार :- सिक्वोरिटी गार्ड, माली ।	रु. 225.55 दैनिक रु. 6767/मासिक	रु.166.88 दैनिक रु.5006.00 मासिक
(3) कुशल कर्मकार :- कुक, चालक	रु. 254.17 दैनिक रु. 7625.00 मासिक	रु.186.92 मासिक रु.5608.00 मासिक

टिप्पण.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्याक 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी, उस प्रवर्ग के लिए विहित समय-दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसका विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यों के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने में सक्षम है वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों अन्य के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
(1) अकुशल:— स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार, कार्टमैन।	रु.210.00	रु.6300.00
(2) अर्ध- कुशल:— वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्प्लेन्ट अटेन्डेड।	रु.218.47	रु.6554.00
(3) कुशल :— चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।	रु.254.17	रु.7625.00
(4) उच्च कुशल:— कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपेक्टर, स्टेनो ग्राफर,	रु.314.50	रु. 9435.00

टिप्पण.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्याक 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके

कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसका विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यो के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।
- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करने में सक्षम है वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

17. सुरक्षा सेवाएं

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा- (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
अकुशल:— हेल्पर, वॉच मैन ।	रु.210.00	रु.6300.00
अर्द्ध-कुशल:— सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट, ।	रु.218.47	रु.6554.00
कुशल :- सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर ।	रु.254.17	रु.7625.00
उच्च कुशल :- सिक्योरिटी आफिसर , सिक्योरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट ।	रु.314.50	रु. 9435.00

टिप्पण.—

- 1 एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्याक 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्गों को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दरों से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6 गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित "निर्माणाधीन हाईड्रो-इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं" में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
- 7 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जन जातीय क्षेत्रों में "निर्माणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं" में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यो के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है ।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने में सक्षम है वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन,चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
अकुशल :-		
चपड़ासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय, बेलदार ।	रु.210.00 दैनिक रु.6300.00 मासिक	रु.184.47 दैनिक रु.5534.00 मासिक
अर्द्ध-कुशल :		
चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल अटेन्डेट, भोग रूम अटेन्डेट, हॉल अटेन्डेट, सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट।	रु.225.55 दैनिक रु.6767.00 मासिक	रु.199.12 दैनिक रु.5974.00 मासिक
कुशल:-		
वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, कुक, मौलवी,ग्रन्थी,पादरी,स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।	रु.254.17 दैनिक रु.7625.00 मासिक	रु. 228.37 दैनिक रु.6851.00 मासिक
उच्च कुशल:-		
सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक,स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट,	रु.267.12 दैनिक रु.8014.00 मासिक	रु.242.40 दैनिक रु.7272.00 मासिक

टिप्पणः—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्ष अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार से होगी.—

- (i) **अकुशल:—**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.—**अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा

उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यो के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।

- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करने में सक्षम है सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कर्मकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कर्मकारों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2017 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल:—	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
चपडासी, आफिस ब्यॉय, मसालची ।	रु. 210.00	रु. 6300.00
अर्द्ध-कुशल :—		
कैश कलेक्टर, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिकयोरिटी गार्ड,कम्पलेन्ट अटेन्डेंट ।	रु.218.47	रु.6554.00
कुशल:—		
इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर ।	रु.254.17	रु.7625.00
उच्च कुशल :—		
सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट ।	रु.314.50	रु.9435.00

टिप्पण.—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी, उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यों के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।

- (iii) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करने में सक्षम है वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. IT-B(1)-3/2013, dated 25-07-2017 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-13, the July, 2017

No. IT-B(1)-3/2013.—In exercise of the powers conferred by provision to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Assistant Programmer, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Information Technology, Himachal Pradesh as per **Annexure-“A”** attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—These rules may be called the Himachal Pradesh Information Technology Department, Assistant Programmer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

Sd/-

Pr. Secretary (Information Technology).

Annexure - “A”

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POSTS OF ASSISTANT PROGRAMMER (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Assistant Programmer

2. **Number of Posts.**—4 (Four)
3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Service)
4. **Scale of Pay.**— (i) *Pay band for regular incumbents.*— ₹10,300-34,800 + ₹ 3,800 Grade Pay.
(ii) *Emoluments for contract employees.*— ₹14,100/- as per details given in Col. No. 15-A
5. **Whether “Selection” Post or “Non-Selection” Post.**—Not applicable
6. **Age for Direct recruitment.**—Between 18 and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment.—
(a) *Essential Qualification(s).*—Regular course(s) in the following streams from any University/ Institution duly recognized by any State/Central Government;

B.E./ B. Tech (Computer Science/ Engineering or Information Technology)/ MCA / ‘B’ or ‘C’ Level of NIELIT with first Class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade.

OR

- (i) B.E./ B.Tech in other disciplines with first class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade with one year ‘A’ Level of DOEACC (NIELIT)/ Post Graduate Diploma in Computer Science/Applications/ Information Technology with first class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade.

- (ii) Experience of at least one year in Government/Corporate Sector as Assistant Programmer/Programmer/Software Developer.

OR

- (i) Master's Degree in Computer Science/Information Technology (having Mathematics as a subject in Graduation) with first class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade.
- (ii) Experience of at least two years in Government/Corporate Sector as Assistant Programmer/ Programmer/Software Developer.

OR

- (i) B.Sc. (Computer Science or Information Technology)/ BCA with first class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade.
- (ii) Experience of at least three years in Government / Corporate / Private Sector as Assistant Programmer/Programmer/Software Developer.

OR

- (i) Three years Diploma from Polytechnic in Computer Science/Engineering or Information Technology with first class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade.
- (ii) Experience of at least three years in Government /Corporate / Private Sector as Assistant Programmer/Programmer/Software Developer.

(b) *Desirable Qualification(s)*.—Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promote (s).—

Age : Not Applicable

EducationalQualifications : Not Applicable

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfers, grades from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.— Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not Applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/ authority as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Programmer, in the Department of Information Technology, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension/ renewal of contract period on year to year basis, the concerned Head of Department (HOD) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

(b) *POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC.—*The Director, Department of Information Technology, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment & Promotion Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Programmer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs. 14,100/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs.423/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Department of Information Technology, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if considered

necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type) written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, *etc.* of which, will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamipur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamipur, from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid contractual fixed contractual amount @ Rs.14,100/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.423/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales *etc.* will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The Contract Appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting in one month's service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imburement and LTC *etc.* No leave of any other kind, except above, is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis, shall be eligible for transfer after completion of three years of service on need basis and against vacant posts or wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract Appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to his/her regular counterpart at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance scheme as were as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2,जुलाई, 2017

संख्या: आई.टी.-बी.(1) 3/2013.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध-“क” द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक प्रोग्रामर, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग सहायक प्रोग्रामर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)।

उपाबन्ध-“क”

हिमाचल प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक प्रोग्रामर वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—सहायक प्रोग्रामर
2. पद (पदों) की संख्या.—4 (चार)
3. वर्गीकरण.—वर्ग—III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड.— ₹ 10,300—34,800 जमा ₹3800/—ग्रेड पे ।
(ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹14100/—प्रतिमास ।
5. “चयन” पद अथवा “अचयन” पद.—लागू नहीं
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष:

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हता(एँ).—किसी राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से विद्या की निम्नलिखित शाखा में नियमित पाठ्यक्रम; प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ बी.ई./बी.टैक (कम्प्यूटर विज्ञान/इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी)/ एम.सी.ए./नीलिट से 'बी' या 'सी' स्तर का कोर्स

या

- (i) अन्य अनुशासनों में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ बी.ई./बी.टैक से साथ-साथ डोएक (नीलिट) से एक वर्षीय

कोर्स/कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

- (ii) सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर/सॉफ्टवेयर डिवेलपर के रूप में सरकारी/निगमित सैक्टर में कम से कम एक वर्ष का अनुभव ।

या

- (i) कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी (जिसमें स्नातक में गणित एक विषय के रूप में हो) में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ।
- (ii) सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर/सॉफ्टवेयर डिवेलपर के रूप में सरकारी/निगमित सैक्टर में कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।

या

- (i) प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ बी.एस.सी.(कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी)/बी.सी.ए. ।
- (ii) सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर/सॉफ्टवेयर डिवेलपर के रूप में सरकारी/निगमित/प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

या

- (i) कम्प्यूटर विज्ञान/इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ बहुतकनीकी संस्थान से तीन वर्षीय डिप्लोमा ।
- (ii) सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर/सॉफ्टवेयर डिवेलपर के रूप में सरकारी/निगमित/प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

(ख) वांछनीय अर्हता(ए).—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :

आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें ।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैंकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैंकेण्डमेंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक प्रोग्रामर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.—निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोग्रामर को ₹ 14100/— की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 423/— (पद के बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 14,100/—प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 423/—(पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला अभ्यर्थी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर

अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0—एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ—साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति/व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद/पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।